भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *160
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

चिह्नित स्मारकों का रख-रखाव और अनुरक्षण

*160. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का चिह्नित स्थलों या स्मारकों/इमारतों के रख-रखाव और अनुरक्षण का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने चिह्नित स्थलों या इमारतों की मरम्मत की गई है;
(ग) क्या उक्त स्थलों/भवनों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए कोई योजना विद्यमान है; और
(घ) यदि हां, तो इसके अंतर्गत कितने जनजातीय विकास खण्डों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (घ) : केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए अलग से कोई प्रस्ताव या योजना नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत देश में जनजातीय विकास खण्डों सहित 3698 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण और रख-रखाव किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जिसे आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। सभी स्मारक/स्थल भली-भांति परिरक्षित हैं।

केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण संबंधी सभी आवश्यक कार्य राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 का अनुपालन करते हुए किए जाते हैं।

*****